

प्रलम्ब 24क  
(विवर 85ख देखिए)

वह प्रस्तुत आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन संबोधित वित्तीय वर्ष के दौरान राजनीतिक दल की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व विवरण आयोग के सम्मेलन काइल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन पृष्ठ का दावा करने के लिए आय-कर विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

1. राजनीतिक दल का नाम :

लोकतांकोल पार्टी

2. राजनीतिक दल की प्राप्तिशिक्षा :

(मान्यताप्राप्त/ अमान्यताप्राप्त)

उभान्यताप्राप्त

3. राजनीतिक दल के मुख्यालय का पता :

३१-२१७ न्यू रोडेन्डलगार पोर्टलैंड ब्रिटिश राजपूर्व

4. विवरण आयोग के पास राजनीतिक दल के

संस्थानिकरण की तारीख :

११/११/२००५

5. स्थायी खाता सं.(पैन) और वह आय-कर वार्ड/

संकित जहां राजनीतिक दल की विवरणी फाइल  
की जानी है..... २१२५२ (दि.ज.)

6. वित्तीय वर्ष 200 -200 के दौरान प्राप्त ऐसे अभिदायों के जो बीस हजार रुपए से अधिक हैं, व्यारे -

क्रम सं.	अभिदायी व्यक्ति/ कंपनी का नाम और पूरा पता	पैन (यदि कोई हो) और आय-कर वार्ड / संकित	अभिदाय की रकम	अभिदाय की रीति। (चैक/ मांगदेय द्राफ्ट/ नकद)	टिप्पणियां
१	पिंडी	७२५	७२५	पिंडी	—

\*चैक/ मांगदेय द्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर चैक/ मांगदेय द्राफ्ट लिखा गया है।

7. यदि अभिदायी एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 239के अधीन अधिकृत रूपी का अनुपातन किया गया है (कंपनी से अभिप्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

सत्यापन  
मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस प्रलम्ब में दी गई जानकारी ठीक, पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है।

मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं, ऊपर नामित राजनीतिक दल की ओर से अपनी हस्तिकृत में इस प्रलम्ब को सत्यापित कर रहा हूं और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूं। २१२५२ (दि.ज.)

(कोषाध्यक्ष/ प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम)

तारीख : ११/१२/२०२१

स्थान : २१२५२ (दि.ज.)

—  
हरगुल मेघवाली  
राष्ट्रीय अध्यक्ष  
लोकसभा कोठोल पार्टी (रजि.)  
रायपुर छत्तीसगढ़